NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 20-11-2026

विषय सूची

भारत-जापान की चौथी 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक

रोहिंग्या संकट पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का निर्णय

लेऑफ(Layoffs) एवं रोजगार की हानि से संरक्षण : क्या भारत में सामाजिक सुरक्षा का पर्याप्त तंत्र उपलब्ध है?

COP31 और जीवाश्म ईंधनों के चरणबद्ध उन्मूलन को लेकर वैश्विक मतभेद

RAPP-8 को प्रथम बार क्रांतिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने हेतु AERB की स्वीकृति

संक्षिप्त समाचार

वायनाड भारत का प्रथम ई-अपशिष्ट मुक्त जिला बनने की ओर अग्रसर

EPFO की व्यवस्थित निकासी योजना (SWP)

बहु-एजेंसी केंद्र (MAC)

हरित भारत मिशन

इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025

पैलियोलॉक्सोडॉन नामाडिकस

भारत-जापान की चौथी 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक

संदर्भ

- भारत और जापान ने टोक्यो में विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के स्तर पर '2+2' संवाद आयोजित किया।

संवाद के प्रमुख परिणाम

- दोनों देशों ने एक आशय पत्र (LoI) पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया। इसके अंतर्गत जापान की आत्मरक्षा सेनाओं को वास्तविक गोला-बारूद के साथ सैन्य अभ्यास करने के लिए भारतीय फायरिंग रेंज का उपयोग करने की अनुमति मिलेगी। इसमें सतह से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलों से संबंधित अभ्यास भी शामिल हैं।
- दोनों पक्षों ने फरवरी 2027 तक आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) प्राप्त करने के साथ भारत में एकीकृत कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना (UNICORN) प्रणाली से संबंधित व्यवस्थाओं को शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने की अपेक्षा भी व्यक्त की।
  - दोनों देशों ने 'जापान के साथ डिजाइन, भारत में निर्माण' के ढाँचे के अंतर्गत रक्षा औद्योगिक सहयोग को सुदृढ़ करने पर सहमति व्यक्त की।
- **समुद्री सुरक्षा सहयोग :** दोनों देशों ने निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की;
  - समुद्री बारूदी सुरंगों से निपटने की क्षमताओं को बढ़ाना।
  - नौसैनिक पोत निर्माण एवं डिजाइन के क्षेत्र में संयुक्त विकास की संभावनाओं का पता लगाना।
  - जापान की समुद्री आत्मरक्षा सेना और भारतीय नौसेना के बीच सूचना-साझाकरण को सुदृढ़ करना।
  - दोनों देशों के तटरक्षक बलों के बीच सहयोग का विस्तार करना।
- **रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग :** भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) तथा जापान की अधिग्रहण, प्रौद्योगिकी एवं लॉजिस्टिक्स एजेंसी (ATLA) उन्नत मिसाइलों और रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाएँगे।
  - दोनों देशों ने 'वायु क्षेत्र जागरूकता' के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बहुपक्षीय रक्षा सहभागिता का विस्तार करने पर भी सहमति व्यक्त की।

भारत-जापान संबंधों का संक्षिप्त विवरण

- **संबंधों की स्थापना :** द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत ने जापान के साथ एक अलग शांति संधि करने का विकल्प चुना। वर्ष 1952 में हस्ताक्षरित इस संधि ने दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंधों की शुरुआत की।
- **द्विपक्षीय संबंधों का विकास :** भारत-जापान द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2000 में वैश्विक साझेदारी , वर्ष 2006 में रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी तथा वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी का दर्जा प्रदान किया गया।
- **रणनीतिक सामंजस्य :** भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' और हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI), जापान की 'स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद-प्रशांत' (FOIP) नीति के साथ निकटता से जुड़ी हुई हैं।
- **वैश्विक पहलों में सहयोग :** जापान और भारत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) तथा उद्योग संक्रमण के लिए नेतृत्व समूह (LeadIT) जैसी पहलों में सहयोग करते हैं।
  - दोनों देश क्वाड (Quad) और भारत-जापान-ऑस्ट्रेलिया आपूर्ति श्रृंखला प्रत्यास्थता पहल (SCRI) जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी मिलकर कार्य करते हैं।
- **रक्षा एवं सुरक्षा :** दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्त्वपूर्ण समझौते किए गए हैं, जिनमें सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा (2008), रक्षा सहयोग एवं आदान-प्रदान संबंधी समझौता ज्ञापन (2014), सूचना संरक्षण समझौता (2015), पारस्परिक आपूर्ति एवं सेवा प्रावधान समझौता (2020) तथा UNICORN नौसैनिक मस्तूल का संयुक्त विकास (2024) शामिल हैं।
  - **सैन्य अभ्यास :** मालाबार (अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ), मिलन (बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास), जिमेक्स (द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास), धर्म गार्जियन (थल सेना अभ्यास) तथा तटरक्षक सहयोग से संबंधित गतिविधियाँ नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।
    - वर्ष 2024-25 में भारत और जापान के तीनों सेनाओं के प्रमुखों की सहभागिता देखी गई, जिससे दोनों देशों के बीच अंतर-संचालनीयता को बढ़ावा मिला।
- **द्विपक्षीय व्यापार :** वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 22.8 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।
  - भारत का जापान से आयात, जापान को किए जाने वाले निर्यात की तुलना में अधिक है।
  - भारत के प्रमुख निर्यातों में रसायन, वाहन, एल्युमीनियम और समुद्री खाद्य उत्पाद शामिल हैं, जबकि जापान से मशीनरी, इस्पात, तांबा और रिएक्टरों का आयात किया जाता है।
- **निवेश :** जापान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का पाँचवाँ सबसे बड़ा स्रोत है। वर्ष 2024 तक भारत में जापान का संचयी निवेश 43.2 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
  - जापान ने भारत को लगातार दीर्घकालिक निवेश के लिए सबसे आशाजनक गंतव्य के रूप में स्थान दिया है।

- **अंतरिक्ष सहयोग :** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) एक्स-रे खगोल विज्ञान, उपग्रह नौवहन, चंद्र अन्वेषण तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय अंतरिक्ष एजेंसी मंच (APRSAF) के क्षेत्र में सहयोग करते हैं।
  - वर्ष 2016 में दोनों संगठनों ने अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण एवं उपयोग के लिए सहयोग ज्ञापन (MoC) पर हस्ताक्षर किए।
- **उभरते सहयोग के क्षेत्र :** डिजिटल सहयोग (सेमीकंडक्टर एवं स्टार्टअप), स्वच्छ ऊर्जा, आपूर्ति श्रृंखला की प्रत्यास्थता, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता तथा कौशल विकास।
- **विकास एवं अवसंरचना सहयोग :** जापान वर्ष 1958 से भारत को आधिकारिक विकास सहायता (ODA) प्रदान करने वाला सबसे बड़ा देश रहा है। इसके माध्यम से महत्त्वपूर्ण अवसंरचना एवं मानव विकास परियोजनाओं को सहायता दी जाती है।
  - वर्ष 2023-24 में ODA के अंतर्गत लगभग 580 अरब जापानी येन (4.5 अरब अमेरिकी डॉलर) की सहायता वितरित की गई।
  - मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना उन्नत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और कौशल विकास का प्रतीक एक प्रमुख परियोजना है।
- **पर्यटन :** वर्ष 2023-24 को 'पर्यटन आदान-प्रदान वर्ष' के रूप में मनाया गया। इसकी विषयवस्तु थी—"हिमालय को माउंट फ़ूजी से जोड़ना"।
- **प्रवासी भारतीय :** जापान में लगभग 54,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र के पेशेवर और इंजीनियर शामिल हैं।

चिंता के क्षेत्र

- **व्यापार असंतुलन :** भारत और जापान के बीच उल्लेखनीय व्यापार असंतुलन है। जापान भारत को जितना निर्यात करता है, उसकी तुलना में भारत जापान को कम निर्यात करता है। इससे पारस्परिक एवं संतुलित व्यापार को बढ़ावा देने की आवश्यकता उत्पन्न होती है।
- **भू-राजनीतिक तनाव :** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव जैसे क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दे भारत-जापान संबंधों के समक्ष चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। इनके लिए सावधानीपूर्वक कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
- **सांस्कृतिक एवं भाषाई बाधाएँ :** सुदृढ़ द्विपक्षीय संबंधों के बावजूद भाषा, संस्कृति और व्यावसायिक कार्यप्रणालियों में अंतर दोनों देशों के बीच गहरे एकीकरण की राह में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- **जन-से-जन संपर्क का सीमित स्तर :** दोनों देशों के नागरिकों के बीच पारस्परिक संपर्क का स्तर अभी भी सीमित है, जिससे एक-दूसरे के प्रति गहरी समझ विकसित करने में बाधा आती है।
- **अवसंरचनात्मक बाधाएँ :** सुधारों के बावजूद भारत के कुछ क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जापानी निवेश को प्रभावी ढंग से समर्थन देने के लिए आवश्यक अवसंरचना का अभाव है।
- **आर्थिक प्राथमिकताओं में अंतर :** भारत का तीव्र आर्थिक विकास पर ध्यान कभी-कभी जापान की सतत विकास एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित प्राथमिकताओं से भिन्न हो सकता है।

आगे की राह

- भारत और जापान साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, पारस्परिक विश्वास तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए समान दृष्टिकोण पर आधारित विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी साझा करते हैं।
- रक्षा, आर्थिक और प्रौद्योगिकी संबंधी सहयोग को सुदृढ़ करने से दोनों देशों के बीच रणनीतिक सामंजस्य गहरा होगा तथा स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
- पारस्परिक हितों और रणनीतिक स्वायत्तता के सम्मान पर आधारित निरंतर द्विपक्षीय सहभागिता इस साझेदारी को क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि के एक प्रमुख आधार के रूप में स्थापित कर सकती है।

स्रोत: TH

रोहिंग्या संकट पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का निर्णय

संदर्भ

- अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने निर्णय दिया कि म्यांमार ने वर्ष 2017 में रखाइन राज्य में सैन्य अभियानों के दौरान अपने रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध नरसंहार किया था।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2019 में गाम्बिया ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में म्यांमार के विरुद्ध मुकदमा दायर किया। इसमें आरोप लगाया गया कि रोहिंग्या समुदाय के विरुद्ध म्यांमार की दमनात्मक कार्रवाई ने वर्ष 1948 के संयुक्त राष्ट्र नरसंहार अभिसमय का उल्लंघन किया।
- वर्ष 2020 में ICJ ने म्यांमार को नरसंहार अभिसमय के अंतर्गत प्रतिबंधित सभी कृत्यों को रोकने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध सभी आवश्यक उपाय करने का आदेश दिया।

- न्यायालय ने म्यांमार को साक्ष्यों को सुरक्षित रखने तथा अभिसमय के अनुपालन के संबंध में नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया।
- इसके अतिरिक्त, कई देश नरसंहार अभिसमय की व्याख्या एवं उसके अनुप्रयोग का समर्थन करने के लिए इस न्यायिक कार्यवाही में शामिल हुए।

न्यायालय द्वारा जारी निर्देश

- न्यायालय ने म्यांमार को निर्देश दिया कि वह हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों की उनके निवास स्थान पर सुरक्षित, स्वैच्छिक एवं सम्मानजनक वापसी की अनुमति दे तथा उसे सुगम बनाए।
- म्यांमार को नरसंहार के आरोपी व्यक्तियों की जाँच करनी होगी और दोषी पाए जाने पर उन्हें दंडित करना होगा। इसके अतिरिक्त, मुआवजे का निर्धारण बाद की तिथि में किया जाएगा।

रोहिंग्या शरणार्थी कौन हैं?

- रोहिंग्या म्यांमार के अराकान साम्राज्य में अपनी ऐतिहासिक जड़ें रखने वाला एक मुस्लिम अल्पसंख्यक जातीय समुदाय है।
  - वे म्यांमार की बहुसंख्यक बौद्ध जनसंख्या से सांस्कृतिक एवं धार्मिक रूप से भिन्न हैं।
- रोहिंग्या समुदाय का दावा है कि वे कई पीढ़ियों से म्यांमार के रखाइन राज्य में निवास कर रहे हैं। हालाँकि, देश की विभिन्न सरकारों ने उनके इस ऐतिहासिक संबंध को विवादित बताते हुए उन्हें बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी के रूप में वर्गीकृत किया है।
  - वर्ष 1982 से म्यांमार ने उन्हें नागरिकता से वंचित कर रखा है, जिसके परिणामस्वरूप वे विश्व की सबसे बड़ी राज्यविहीन आबादी बन गए हैं।
- उनका सबसे बड़ा सामूहिक पलायन वर्ष 2017 में हुआ, जब सुरक्षा बलों की क्रूर कार्रवाई से बचने के लिए 7.5 लाख से अधिक लोगों को बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी।

नरसंहार क्या है?

- 'नरसंहार' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1944 में पोलिश विधिवेत्ता राफेल लेमकिन (Raphäel Lemkin) ने किया था।
  - वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे प्रथम बार अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत एक अपराध के रूप में मान्यता दी।
- वर्ष 1948 में 'नरसंहार अपराध की रोकथाम एवं दंड पर अभिसमय' , जिसे नरसंहार अभिसमय कहा जाता है, के माध्यम से इसे एक स्वतंत्र अपराध के रूप में संहिताबद्ध किया गया।
  - अप्रैल 2022 तक इस अभिसमय का 153 देशों द्वारा अनुसमर्थन किया जा चुका था।
  - भारत ने वर्ष 1949 में इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए तथा वर्ष 1959 में इसका अनुसमर्थन किया।
- अभिसमय के अनुसार, नरसंहार का अर्थ किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से नष्ट करने के आशय से किए गए निम्नलिखित कृत्यों में से किसी एक से है:
  - समूह के सदस्यों की हत्या करना।
  - समूह के सदस्यों को गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुँचाना।
  - समूह पर जानबूझकर ऐसी जीवन परिस्थितियाँ थोपना, जिनका उद्देश्य उसे पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से शारीरिक रूप से नष्ट करना हो।
  - समूह के भीतर जन्म रोकने के उद्देश्य से उपाय लागू करना।
  - समूह के बच्चों को बलपूर्वक किसी अन्य समूह में स्थानांतरित करना।
- अभिसमय के अनुसार, नरसंहार का अपराध अंतरराष्ट्रीय या गैर-अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष के दौरान भी किया जा सकता है तथा शांतिपूर्ण परिस्थितियों में भी घटित हो सकता है।
- **अनुच्छेद IX :** यह नरसंहार अभिसमय की व्याख्या, अनुप्रयोग या उसके अनुपालन से संबंधित विवादों पर ICJ के अधिकार क्षेत्र का प्रावधान करता है। इसमें नरसंहार के लिए किसी राज्य की जिम्मेदारी से संबंधित विवाद भी शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के बारे में

- अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ), संयुक्त राष्ट्र (UN) का प्रमुख न्यायिक अंग है।
- इसकी स्थापना जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से हुई थी तथा इसने अप्रैल 1946 में कार्य करना प्रारंभ किया।
- न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग नगर स्थित पीस पैलेस में है।
- न्यायालय का प्रमुख कार्य अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, राज्यों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों का निपटारा करना तथा अधिकृत संयुक्त राष्ट्र निकायों एवं विशिष्ट एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर परामर्शात्मक राय देना है।
- न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका निर्वाचन संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा नौ वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है।
- इसकी आधिकारिक भाषाएँ अंग्रेज़ी और फ्रेंच हैं।
- ICJ के निर्णय बाध्यकारी होते हैं तथा उनके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। हालाँकि, न्यायालय के पास अपने निर्णयों को लागू कराने के लिए प्रत्यक्ष प्रवर्तन तंत्र उपलब्ध नहीं है।

स्रोत: TH

लेऑफ(Layoffs) एवं रोजगार की हानि से संरक्षण : क्या भारत में सामाजिक सुरक्षा का पर्याप्त तंत्र उपलब्ध है?

संदर्भ

- 21 नवंबर 2026 को श्रम संहिताओं के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर, लेऑफ की बढ़ती घटनाओं ने भारत में सेवा-समाप्ति मुआवजे और बेरोजगारी संरक्षण के अभाव को लेकर परिचर्चा को पुनः तीव्र कर दिया है। लेऑफ की इन घटनाओं का एक कारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को अपनाया जाना भी है।

सेवा-समाप्ति एवं रोजगार से वंचित होने की अवधारणा

- **भारतीय कानूनी शब्दावली :** 'लेऑफ' (Layoff) अमेरिकी प्रचलन का शब्द है। भारतीय कानून में कदाचार के अतिरिक्त अन्य कारणों से रोजगार समाप्त किए जाने के लिए 'रिट्रेंचमेंट' शब्द का प्रयोग किया जाता है।
- **मानवीय प्रभाव :** आय की हानि के अतिरिक्त, रोजगार समाप्त होने से सामाजिक कलंक, परिवार के भीतर इस तथ्य को छिपाने की प्रवृत्ति तथा स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा का नुकसान जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- **श्रमिकों की दो श्रेणियाँ—ब्लू कॉलर एवं व्हाइट कॉलर :** व्हाइट कॉलर कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कौशल के आधार पर रोजगार प्राप्त करेंगे, लेकिन उनके कौशल अक्सर किसी विशेष कंपनी तक ही सीमित होते हैं। कम कौशल वाले श्रमिक विभिन्न नियोक्ताओं के बीच रोजगार बदलते रहते हैं, जब तक कि उन्हें उनकी आरक्षण मजदूरी प्राप्त न हो जाए। आरक्षण मजदूरी वह न्यूनतम वेतन है, जिस पर कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार होता है।
- **अनुबंध का प्रकार महत्त्वपूर्ण :** किसी श्रमिक को मिलने वाला संरक्षण इस बात पर निर्भर करता है कि वह प्रशिक्षु, संविदा श्रमिक या स्थायी कर्मचारी है तथा उसके पास लिखित रोजगार अनुबंध उपलब्ध है या नहीं।

वर्तमान संरक्षण

- **सेवा-समाप्ति मुआवजा :** सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के औसत वेतन के बराबर मुआवजा प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, निर्धारित नोटिस अवधि अथवा उसके बदले वेतन देना भी आवश्यक है।
- **पूर्व सरकारी अनुमति :** 300 या उससे अधिक श्रमिकों वाले कारखानों, खदानों और बागानों को लेऑफ, सेवा-समाप्ति या प्रतिष्ठान बंद करने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। इसके दायरे में IT क्षेत्र और अधिकांश सेवा क्षेत्र शामिल नहीं हैं।
- **श्रमिक पुनःकौशल विकास निधि :** नियोक्ताओं को सेवा से हटाए गए प्रत्येक श्रमिक के लिए उसके अंतिम आहरित 15 दिनों के वेतन के बराबर राशि 10 दिनों के अंदर जमा करनी होती है। यह राशि 45 दिनों के अंदर संबंधित श्रमिक को प्राप्त हो जाती है।
- **ABVKY (ESIC) :** यह योजना बीमित श्रमिकों को रोजगार खोने की स्थिति में बेरोजगारी राहत प्रदान करती है। इसे 1 जुलाई 2026 से बढ़ाकर 30 जून 2027 तक विस्तारित किया गया है।
- **RGSKY :** यह योजना अधिकतम दो वर्षों तक बेरोजगारी भत्ता प्रदान करती है, लेकिन इसका लाभ केवल तभी मिलता है, जब बीमित व्यक्ति की नौकरी अनैच्छिक रूप से समाप्त हुई हो।

प्रमुख चिंताएँ

- **कम श्रमिक संघीकरण :** श्रमिक संघों के अंतर्गत आने वाले श्रमिकों का अनुपात 10% से भी कम है। परिणामस्वरूप, अधिकांश श्रमिकों के पास अपनी समस्याओं को उठाने के लिए कोई संगठित मंच उपलब्ध नहीं है।
- **विवादों के निपटारे में विलंब :** विवाद समाधान की प्रक्रिया सुलह से शुरू होकर न्यायाधिकरण और उसके बाद अपील तक जाती है। इसमें सामान्यतः 6 से 15 महीने लगते हैं। इस विलंब से परेशान होकर श्रमिक प्रायः न्यायालय के बाहर समझौता स्वीकार करने के लिए विवश हो जाते हैं।
- **न्यायाधिकरणों की क्षमता :** औद्योगिक संबंध संहिता के अंतर्गत श्रम न्यायालयों के स्थान पर औद्योगिक न्यायाधिकरणों की व्यवस्था की गई है। हालाँकि, इनमें रिक्त पदों तथा पीठासीन अधिकारियों की गुणवत्ता को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।
- **सेवा-समाप्ति मुआवजे पर कर :** सेवा-समाप्ति मुआवजे पर 'वेतन के बदले प्राप्त लाभ' के रूप में कर लगाया जाता है। वेतन से इतर प्राप्त मुआवजे पर भी 'अन्य स्रोतों से आय' के रूप में कर लगाया जाता है, जिससे मुआवजे की लगभग एक-तिहाई राशि कर के रूप में समाप्त हो सकती है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र का संरक्षण से वंचित रहना :** आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनेक उत्तरदाताओं के पास नियुक्ति पत्र या भविष्य निधि (PF) की सुविधा नहीं है। परिणामस्वरूप, वे लगभग सभी औपचारिक सुरक्षा उपायों के दायरे से बाहर रह जाते हैं।
- **ESI की सीमित पहुँच :** बीमित व्यक्तियों की संख्या की तुलना में कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) अस्पतालों की संख्या काफी कम है।
- **बेरोजगारी बीमा का अभाव :** भारत में अभी भी बेरोजगारी की स्थिति में परिवार का संयुक्त ढाँचा अनौपचारिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। हालाँकि, शहरीकरण के कारण यह पारंपरिक सुरक्षा तंत्र कमजोर हो रहा है।

वैश्विक मॉडल

- **जर्मनी :** पूर्व में प्राप्त वेतन से जुड़ी बेरोजगारी बीमा व्यवस्था, जिसके अंतर्गत विगत वेतन के एक निश्चित अनुपात के रूप में सहायता प्रदान की जाती है।
- **अमेरिका :** वेतन भुगतान पर लगाए गए कर से वित्तपोषित बेरोजगारी बीमा व्यवस्था, जिसमें नियोक्ताओं की कर दरें उनके द्वारा की गई पूर्ववर्ती लेऑफ के इतिहास के आधार पर निर्धारित होती हैं।
- **सिंगापुर :** स्किल्सफ्यूचर और रोजगार मिलान के माध्यम से कौशल-आधारित सहायता प्रदान की जाती है।

गिग एवं अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक

- **कानूनी मान्यता :** सामाजिक सुरक्षा संहिता में पहली बार गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों को परिभाषित किया गया है। वहीं, ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है।
- **आय संबंधी आघात :** गिग श्रमिकों के मामले में नौकरी समाप्त होने के बजाय उनकी आय अर्जित करने की क्षमता प्रभावित होती है। इसके समाधान के लिए स्वैच्छिक रूप से चुने जाने वाले आय-हानि बीमा प्रीमियम का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें एग्रीगेटर कंपनियाँ और ग्राहक भी समान रूप से योगदान कर सकते हैं।

आगे की राह

- **बेरोजगारी बीमा :** औपचारिक क्षेत्र के लिए अंशदान-आधारित एवं पूर्व वेतन से जुड़ी बेरोजगारी बीमा योजना तथा कमजोर वर्गों के श्रमिकों के लिए कर-वित्तपोषित बेरोजगारी सहायता योजना शुरू की जानी चाहिए।
- **ABVKY का विस्तार :** इस योजना के अंतर्गत दावा प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए तथा इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में इसका अपेक्षाकृत कम उपयोग हो रहा है।
- **सेवा-समाप्ति मुआवजे पर कर का युक्तिसंगतीकरण :** कर-मुक्ति की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि श्रमिकों को मिलने वाली आर्थिक सुरक्षा कर के कारण कम न हो।
- **त्वरित न्याय :** न्यायाधिकरणों में रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए तथा सुलह एवं न्यायिक निर्णय की प्रक्रिया के लिए समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।
- **उत्तरदायी सेवा-समाप्ति प्रक्रिया :** नियोक्ताओं को कर्मचारियों की सेवा समाप्त करते समय परामर्श, वैकल्पिक रोजगार प्राप्त करने में सहायता तथा पुनःप्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **शहरी रोजगार योजना :** शहरी श्रम बाजारों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक अलग शहरी सामाजिक सुरक्षा तंत्र विकसित किया जाना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण रोजगार योजनाएँ शहरी श्रम बाजारों के अनुकूल नहीं हैं।
- **कौशल-आधारित शासन व्यवस्था :** श्रम एवं कौशल विकास मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि रोजगार समाप्त होने की स्थिति में श्रमिक कार्यबल से बाहर होने के बजाय पुनःकौशल विकास के माध्यम से नए रोजगार प्राप्त कर सकें।

अधिसूचित चार श्रम संहिताओं के प्रमुख प्रावधान

- **वेतन संहिता, 2019 :**
  - **समाहित कानून :** इसमें वेतन भुगतान अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम को समाहित किया गया है।
  - **सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन :** संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के प्रत्येक कर्मचारी को न्यूनतम वेतन का वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है।
  - **न्यूनतम आधारभूत वेतन :** केंद्र सरकार न्यूनतम जीवन स्तर के आधार पर राष्ट्रीय न्यूनतम आधारभूत वेतन निर्धारित करेगी तथा कोई भी राज्य इससे कम वेतन निर्धारित नहीं कर सकेगा।
  - **समयबद्ध वेतन भुगतान एवं ओवरटाइम :** समय पर वेतन भुगतान संबंधी प्रावधान सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे तथा ओवरटाइम के लिए सामान्य वेतन की कम-से-कम दोगुनी दर से भुगतान करना होगा।
- **औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 :**
  - **समाहित कानून :** इसमें ट्रेड यूनियन अधिनियम, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम को समाहित किया गया है।
  - **निश्चित अवधि का रोजगार :** कंपनियाँ निश्चित अवधि के लिए सीधे कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती हैं। ऐसे कर्मचारियों को वेतन एवं अन्य लाभों के मामले में स्थायी कर्मचारियों के समान अधिकार प्राप्त होंगे। एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा।

- **सेवा-समाप्ति हेतु सीमा :** लेऑफ, सेवा-समाप्ति और प्रतिष्ठान बंद करने के लिए सरकारी अनुमति अब केवल 300 या उससे अधिक श्रमिकों वाली इकाइयों के लिए आवश्यक है। पहले यह सीमा 100 श्रमिकों की थी। राज्य सरकारें इस सीमा को और बढ़ा सकती हैं।

- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 :**
  - **समाहित कानून :** इसमें कर्मचारी मुआवजा अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम सहित नौ कानूनों को समाहित किया गया है।
  - **अखिल भारतीय ESIC कवरेज :** कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) का कवरेज अब केवल अधिसूचित क्षेत्रों तक सीमित नहीं है।
  - **EPF जाँच के लिए समय-सीमा :** भविष्य निधि (EPF) से संबंधित जाँच पाँच वर्षों के अंदर शुरू करनी होगी तथा दो वर्षों के भीतर पूरी करनी होगी। इस अवधि को एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
  - **गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिक :** प्रथम बार इन्हें कानून में परिभाषित किया गया है तथा इनके लिए एक समर्पित सामाजिक सुरक्षा कोष का प्रावधान किया गया है।
  - **आवागमन के दौरान दुर्घटनाएँ :** घर और कार्यस्थल के बीच आवागमन के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को भी रोजगार से संबंधित दुर्घटनाओं के रूप में शामिल किया गया है।
- **व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएँ संहिता, 2020 :**
  - **समाहित कानून :** इसमें कारखाना अधिनियम, बागान श्रम अधिनियम और खान अधिनियम सहित 13 कानूनों को समाहित किया गया है।
  - **स्वास्थ्य जाँच :** 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जाँच का प्रावधान किया गया है।
  - **व्यापक दायरा :** इस संहिता का विस्तार खतरनाक कार्य करने वाली ऐसी इकाइयों तक भी किया जा सकता है, जहाँ केवल एक श्रमिक कार्यरत हो।

स्रोत: TH

COP31 और जीवाश्म ईंधनों के चरणबद्ध उन्मूलन को लेकर वैश्विक मतभेद

संदर्भ

- तुर्किये के अंताल्या में आयोजित COP31 की जलवायु वार्ताएँ अंतिम चरण में पहुँच गई हैं। इस दौरान जीवाश्म ईंधनों से संक्रमण को लेकर देशों के बीच मतभेद उभरकर सामने आए हैं, जिससे इस बात पर चिंता बढ़ गई है कि क्या देश किसी सर्वसम्मत निर्णय पर पहुँच पाएँगे।

कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP) के बारे में

- कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP), संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC) का वार्षिक सर्वोच्च निर्णय-निर्माण निकाय है।
  - इसमें लगभग 200 देश वैश्विक जलवायु कार्रवाई, जलवायु वित्तपोषण और उत्सर्जन में कटौती संबंधी प्रतिबद्धताओं पर वार्ता करने के लिए एकत्रित होते हैं।
  - COP का प्रथम सत्र मार्च 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित किया गया था।
- **बैठक:** COP की बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, जब तक कि पक्षकार इसके विपरीत कोई निर्णय न लें।
- COP की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र के पाँच मान्यता प्राप्त क्षेत्रों—अफ्रीका, एशिया-प्रशांत, लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन, मध्य एवं पूर्वी यूरोप तथा पश्चिमी यूरोप एवं अन्य—के बीच चक्रानुक्रम से आवंटित होती है।
- COP की बैठक बॉन में आयोजित होती है, जब तक कि कोई पक्षकार देश स्वयं इसकी मेजबानी का प्रस्ताव न दे।

COP31 की वार्ताओं के प्रमुख मुद्दे

- **जीवाश्म ईंधनों के चरणबद्ध उन्मूलन हेतु कार्ययोजना का अभाव:** प्रारंभिक मसौदा समझौते में जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए त्वरित कार्रवाई तथा ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधनों से तत्काल संक्रमण का आह्वान किया गया था।
  - हालाँकि, संशोधित मसौदे में कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस से संबंधित सभी संदर्भ हटा दिए गए।
  - यह प्रमुख जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों के निरंतर विरोध तथा ऊर्जा संक्रमण की गति को लेकर देशों के बीच विद्यमान मतभेदों को दर्शाता है।
- **वैश्विक विद्युतीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास:** तुर्किये ने वैश्विक अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी को वर्तमान 23% से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 35% करने का प्रस्ताव रखा है।
  - हालाँकि, विभिन्न देशों ने चिंता व्यक्त की है कि केवल विद्युतीकरण से कार्बन उत्सर्जन में कमी सुनिश्चित नहीं होती, जब तक कि बिजली का उत्पादन स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से न किया जाए।
- **कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकियों पर परिचर्चा:** मसौदे में कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण (CCUS) प्रौद्योगिकियों के व्यापक विस्तार के प्रयासों का स्वागत किया गया है।
  - हालाँकि, कई देशों और पर्यावरण संगठनों का तर्क है कि CCUS पर अत्यधिक निर्भरता जीवाश्म ईंधनों की खपत में कमी लाने की प्रक्रिया को विलंबित कर सकती है।

- जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) की अगली आकलन रिपोर्टों की समय-सीमा को लेकर भी देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं।

- **जलवायु वित्तपोषण एवं अनुकूलन संबंधी अंतराल:** विकासशील देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए अधिक वित्तीय सहायता की माँग कर रहे हैं।
  - वर्ष 2026 की अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील देशों को वर्ष 2035 तक प्रतिवर्ष 305 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी, जबकि वर्तमान में उन्हें प्रतिवर्ष केवल लगभग 28–32 अरब डॉलर ही प्राप्त होते हैं।
  - मसौदे में प्रतिवर्ष न्यूनतम 120 अरब डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हालाँकि, संशोधित मसौदे में 120 अरब डॉलर के इस आँकड़े को हटा दिया गया है और बाध्यकारी वित्तीय प्रतिबद्धता के स्थान पर आगे परामर्श करने का आह्वान किया गया है।

जीवाश्म ईंधनों से संक्रमण हेतु अंतरराष्ट्रीय रूपरेखाएँ

- **पेरिस समझौता, 2015:** इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से काफी नीचे सीमित रखना तथा इसे 1.5°C तक सीमित करने के प्रयास करना है।
- **ग्लासगो जलवायु समझौता, COP26 (2021):** इसमें बिना उत्सर्जन नियंत्रण के कोयला आधारित बिजली उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से कम करने तथा अप्रभावी जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को समाप्त करने का आह्वान किया गया।
- **COP28 UAE सर्वसम्मति (2023):** इसमें ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधनों से न्यायसंगत, सुव्यवस्थित और समतामूलक संक्रमण का आह्वान किया गया।
- **COP29, बाकू (2024):** इसमें जलवायु वित्तपोषण से संबंधित नवीन सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य (NCQG) को आगे बढ़ाया गया। इसके अंतर्गत विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को वर्ष 2035 तक प्रतिवर्ष कम-से-कम 300 अरब डॉलर उपलब्ध कराने का लक्ष्य शामिल है।

जलवायु वार्ताओं को जटिल बनाने वाले कारक

- **ईरान युद्ध:** इसके परिणामस्वरूप तेल की कीमतों में आए झटके ने ऊर्जा सुरक्षा और जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
- **आर्थिक हित:** जीवाश्म ईंधन निर्यातक देश राजस्व में कमी, रोजगार के अवसरों और आर्थिक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चिंतित हैं।
- **विकास संबंधी असमानताएँ:** विकासशील देश उत्सर्जन में कटौती के साथ-साथ सस्ती ऊर्जा की उपलब्धता, औद्योगीकरण और गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता देते हैं।
- **जलवायु न्याय:** विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी तथा वित्त और प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने संबंधी उनके दायित्वों को लेकर मतभेद बने हुए हैं।
- **सर्वसम्मति आधारित निर्णय-निर्माण:** UNFCCC की प्रक्रिया में व्यापक सहमति आवश्यक होती है। इसलिए, परस्पर विरोधी राष्ट्रीय हितों के कारण महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धताओं को अपनाना कठिन हो जाता है।

आगे की राह

- **स्वच्छ विद्युतीकरण सुनिश्चित करना:** विद्युतीकरण के लक्ष्यों को नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार, विद्युत ग्रिड के आधुनिकीकरण और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास से जोड़ना चाहिए।
- **जलवायु वित्तपोषण को सुदृढ़ करना:** विकासशील देशों में जलवायु अनुकूलन और शमन के लिए पूर्वानुमेय, सुलभ तथा रियायती वित्तपोषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- **वैज्ञानिक सहयोग को सुदृढ़ करना:** IPCC की आकलन रिपोर्टों को समय पर जारी करना तथा राष्ट्रीय नीति-निर्माण में जलवायु विज्ञान के उपयोग को बेहतर बनाना चाहिए।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) क्या हैं?

- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs), पेरिस समझौते के अंतर्गत देशों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विशिष्ट जलवायु कार्रवाई योजनाएँ हैं।
- इनमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती तथा जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन संबंधी लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।
- जलवायु कार्रवाई के महत्त्वाकांक्षी स्तर को बढ़ाने के लिए NDCs को समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
- **भारत के NDC के मार्गदर्शक सिद्धांत:**
  - भारत का NDC साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्वों एवं संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) के सिद्धांत पर आधारित है। यह दृष्टिकोण समानता और जलवायु न्याय पर बल देता है।
  - भारत का NDC विकास संबंधी आवश्यकताओं, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन स्थापित करता है।

NDC 3.0 (2031–2035) के प्रमुख लक्ष्य

- **उत्सर्जन तीव्रता में कमी:** भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2035 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन तीव्रता (GDP की प्रति इकाई पर CO2 उत्सर्जन) में 47% की कमी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
  - भारत वर्ष 2005 से 2020 के बीच अपनी उत्सर्जन तीव्रता में पहले ही लगभग 36% की कमी कर चुका है।

स्रोत: FP

RAPP-8 को प्रथम बार क्रांतिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने हेतु AERB की स्वीकृति

समाचारों में

- परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा स्थित 700 मेगावाट विद्युत (MWe) क्षमता वाले रिएक्टर RAPP-8 के लिए प्रथम क्रांतिकता प्राप्ति (FAC) को स्वीकृति दे दी है।

परिचय

- **प्रथम क्रांतिकता प्राप्ति (FAC):** वह अवस्था, जब कोई परमाणु रिएक्टर प्रथम बार अत्यंत कम शक्ति स्तर पर नियंत्रित एवं स्व-संधारित श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ करता है। यह विद्युत उत्पादन शुरू करने से पहले का एक महत्त्वपूर्ण चरण है।
- **RAPP-8:** रावतभाटा परिसर में स्थापित स्वदेशी 700 MWe क्षमता वाला दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWR)।
- **NPCIL (न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड):** परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। यह परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का अभिकल्पन, निर्माण, कमीशनिंग तथा संचालन करती है।
- **AERB:** भारत का परमाणु सुरक्षा नियामक निकाय है। यह सुरक्षा संबंधी समीक्षा करता है, संयंत्रों का निरीक्षण करता है तथा कमीशनिंग के प्रत्येक चरण को मंजूरी प्रदान करता है।

FAC की प्रक्रिया कैसे कार्य करती है?

- **सुरक्षा समीक्षा:** AERB क्रांतिकता प्राप्ति की अनुमति देने से पहले रिएक्टर के अभिकल्पन, निर्माण की गुणवत्ता, उपकरणों के परीक्षण तथा ईंधन लोडिंग की जाँच करता है।
- **न्यूट्रॉन अवशोषक पदार्थों को हटाना:** भारी जल (D_2O) न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करता है, जिससे विखंडन प्रक्रिया जारी रह सकती है। सुरक्षा के उद्देश्य से मिलाए गए न्यूट्रॉन-अवशोषक रसायनों की मात्रा कड़ी निगरानी के तहत धीरे-धीरे कम की जाती है।
- **क्रांतिकता प्राप्त करना:** संचालक न्यूट्रॉन के स्तर पर निगरानी रखते हुए रिएक्टर की नियंत्रण प्रणालियों को समायोजित करते हैं। जब प्रभावी गुणन कारक का मान 1 हो जाता है, तब श्रृंखला अभिक्रिया स्व-संधारित हो जाती है।
- **परीक्षण एवं विद्युत उत्पादन में वृद्धि:** क्रांतिकता प्राप्ति के बाद कम शक्ति स्तर पर परीक्षण किए जाते हैं। इसके पश्चात रिएक्टर को विद्युत ग्रिड से जोड़ा जाता है, उसकी उत्पादन क्षमता को क्रमिक रूप से बढ़ाया जाता है और अंततः वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होता है।

RAPP-8 एवं 700 MWe PHWR श्रृंखला के बारे में

- **श्रृंखला का चौथा रिएक्टर:** यह गुजरात स्थित KAPS-3 और KAPS-4 तथा इसके समकक्ष RAPP-7 के बाद इस श्रृंखला का चौथा रिएक्टर है। ये सभी ऐसे 16 रिएक्टरों की प्रस्तावित श्रृंखला का हिस्सा हैं।
- **ईंधन एवं शीतलक:** इसमें प्राकृतिक यूरेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। भारी जल शीतलक और मंदक —दोनों की भूमिका निभाता है।
- **सुरक्षा अभिकल्पन:** इसमें दोहरी परिरोधन संरचना तथा आपातकालीन स्थितियों में क्षय ऊष्मा को बाहर निकालने के लिए निष्क्रिय सुरक्षा प्रणालियाँ उपस्थित हैं।
- **स्वदेशी निर्माण:** इसके अधिकांश प्रमुख घटकों का निर्माण भारत में किया जाता है, जिससे घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलता है तथा मानकीकृत निर्माण प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है। (सटीक प्रतिशत की पुष्टि की जानी चाहिए।)
- **नियामकीय निगरानी:** AERB की एक आवासीय पर्यवेक्षक टीम कमीशनिंग प्रक्रिया तथा विद्युत उत्पादन क्षमता में प्रत्येक वृद्धि की निगरानी करती है।

भारत की वर्तमान स्थिति

- KAPS-3, KAPS-4 और RAPP-7 पहले से ही परिचालन में हैं। RAPP-7 ने अप्रैल 2025 में वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ किया था। RAPP-8 के वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) में वाणिज्यिक संचालन शुरू करने की अपेक्षा है।
- कुडनकुलम की इकाइयों तथा कलपक्कम स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) के साथ मिलकर यह परियोजना वर्ष 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 100 गीगावाट विद्युत (GWe) तक पहुँचाने के लक्ष्य को समर्थन प्रदान करती है।

स्रोत: TOI

संक्षिप्त समाचार

वायनाड भारत का प्रथम ई-अपशिष्ट मुक्त जिला बनने की ओर अग्रसर

समाचारों में

- केरल के वायनाड जिले ने लगभग 100 टन ई-अपशिष्ट एकत्रित किया है और यह भारत का प्रथम ई-अपशिष्ट मुक्त जिला बनने की दिशा में अग्रसर है।

समाचार से संबंधित प्रमुख तथ्य

- यह उपलब्धि सरकारी कार्यालयों, स्थानीय निकायों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और परिवारों को शामिल करते हुए चलाए गए जिला-व्यापी अभियान के माध्यम से प्राप्त की गई है।
- वायनाड केरल का एकमात्र आकांक्षी जिला है। अतः इसकी सफलता दर्शाती है कि कम लागत वाले स्थानीय प्रयासों से भी महत्त्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
- यह पहल भारत के ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के अंतर्गत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) की अवधारणा से जुड़ी है।

ई-अपशिष्ट के बारे में

- ई-अपशिष्ट से तात्पर्य अनुपयोगी हो चुके विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (EEE) तथा उनके घटकों से है।
- इसमें तांबा, एल्युमीनियम, सोना, चाँदी और पैलेडियम जैसी मूल्यवान सामग्रियों के साथ-साथ सीसा, पारा तथा कुछ स्थायी रसायन जैसे खतरनाक पदार्थ भी पाए जाते हैं।
- इस प्रकार, ई-अपशिष्ट की दोहरी प्रकृति होती है:
  - **शहरी खदान :** यह मूल्यवान एवं महत्त्वपूर्ण सामग्रियों का एक सघन द्वितीयक स्रोत है।
  - **खतरनाक अपशिष्ट :** असुरक्षित तरीके से इसके विघटन एवं प्रसंस्करण से मृदा, वायु और जल प्रदूषित हो सकते हैं तथा श्रमिकों को विषैले पदार्थों के संपर्क में आने का जोखिम रहता है।

वर्तमान स्थिति: वैश्विक एवं भारतीय परिदृश्य

- वैश्विक स्तर पर ई-अपशिष्ट का उत्पादन औपचारिक पुनर्चक्रण क्षमता की तुलना में अधिक तीव्र गति से बढ़ रहा है।
  - ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2024 के अनुसार, वर्ष 2022 में विश्वभर में 62 मिलियन टन ई-अपशिष्ट उत्पन्न हुआ, जिसमें से केवल लगभग 22.3% का ही औपचारिक रूप से संग्रहण एवं पुनर्चक्रण किया गया।
- चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई-अपशिष्ट उत्पादक देश है।
  - भारत में ई-अपशिष्ट का उत्पादन वर्ष 2020 के लगभग 2.76 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) से बढ़कर वर्ष 2024 में लगभग 6.19 MMT हो गया है तथा वर्ष 2030 तक इसके 14 MMT तक पहुँचने की संभावना है।

स्रोत: TH

EPFO की व्यवस्थित निकासी योजना (SWP)

समाचारों में

- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) ने अपनी 240वीं बैठक में, मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में, EPF सदस्यों के लिए व्यवस्थित निकासी योजना (SWP) को स्वीकृति दी तथा भविष्य निधि (PF) निकासी संबंधी नियमों में ढील प्रदान की।

SWP क्या है?

- यह एक वैकल्पिक सुविधा है। इसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति के समय पूरी EPF राशि एकमुश्त निकालने के बजाय सदस्य इसे नियमित किस्तों में प्राप्त कर सकता है।
- इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त व्यक्तियों को नियमित आय उपलब्ध कराना तथा उनकी बचत को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायता करना है।

प्रमुख विशेषताएँ

- **भुगतान का विकल्प:** मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक आधार पर निकासी की सुविधा।
- **ब्याज का लाभ जारी:** खाते में शेष बची राशि पर EPF का ब्याज मिलता रहेगा।
- **स्वैच्छिक सुविधा:** सदस्य स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें इस योजना का लाभ लेना है या नहीं।
- **नामांकित व्यक्ति का संरक्षण:** सदस्य की मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति शेष राशि निकाल सकता है अथवा किस्तों में भुगतान प्राप्त करना जारी रख सकता है।
- **प्रारंभिक लाभार्थी:** 55 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 6.32 लाख सदस्य, जिनकी बचत ₹5 लाख से अधिक है।
- **EPS से अलग:** SWP का संचालन EPF की बचत से होगा तथा यह कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) का स्थान नहीं लेती और न ही इसमें कोई बदलाव करती है।

स्रोत: TH

बहु-एजेंसी केंद्र (MAC)

समाचारों में

- हाल ही में बहु-एजेंसी केंद्र (MAC) की कार्यप्रणाली का पुनर्गठन किया गया है, ताकि साइबर सुरक्षा, मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध नेटवर्क तथा उभरते कट्टरपंथीकरण के संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी को इसमें शामिल किया जा सके।

बहु-एजेंसी केंद्र (MAC)

- यह एक केंद्रीकृत खुफिया सूचना-साझाकरण मंच है।
- इसकी अवधारणा वर्ष 2001 में कारगिल युद्ध के बाद विकसित की गई थी, लेकिन यह वर्ष 2009 में पूर्ण रूप से परिचालन में आया।
- यह खुफिया ब्यूरो (IB) के अंतर्गत कार्य करता है तथा वास्तविक समय में खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान और समन्वय के लिए भारत के सर्वोच्च मंच के रूप में कार्य करता है।
- यह खुफिया, सुरक्षा, रक्षा और कानून प्रवर्तन से संबंधित संगठनों सहित केंद्र एवं राज्यों की 28 एजेंसियों को एक मंच पर लाता है, जिससे आतंकवाद-रोधी तथा राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी सूचनाओं का निर्बाध आदान-प्रदान सुनिश्चित होता है।
- वर्ष 2025 में MAC नेटवर्क का पुनर्गठन किया गया, ताकि सुरक्षित नेटवर्क के माध्यम से देश के सभी पुलिस जिलों को इससे जोड़ा जा सके।

क्या आप जानते हैं?

- गृह मंत्रालय ने 22 जनवरी, 2025 को MAC रूपरेखा के अंतर्गत साइबर बहु-एजेंसी केंद्र (CyMAC) की स्थापना की।
  - CyMAC साइबर सुरक्षा संबंधी खतरों, साइबर जासूसी, उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग तथा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अन्य साइबर जोखिमों से निपटने के लिए वास्तविक समय में समन्वय एवं खुफिया सूचना-साझाकरण का एक समर्पित मंच है।

स्रोत: TH

हरित भारत मिशन

समाचारों में

- हाल ही में लोक लेखा समिति (PAC) ने हरित भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन में विफल रहने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की आलोचना की है।

हरित भारत मिशन

- यह वनों एवं पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थापन के लिए समर्पित एक प्रमुख पहल है।
- इसे वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था तथा इसकी गतिविधियाँ वित्त वर्ष 2015-16 में शुरू हुईं।
- यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC) के अंतर्गत आठ मिशनों में से एक है।
- इसका संचालन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- इसका उद्देश्य पारिस्थितिकीय प्रत्यास्थता तथा जलवायु कार्रवाई को सुदृढ़ करना है।

उपलब्धियाँ

- भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2023 के अनुसार, भारत का वन एवं वृक्ष आवरण 8.27 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है।
  - इसमें केवल वन आवरण 7.15 लाख वर्ग किलोमीटर (21.76%) है, जबकि वृक्ष आवरण 1.12 लाख वर्ग किलोमीटर (3.41%) है।
- वर्तमान में भारत के वनों में 30.43 अरब टन कार्बन भंडार विद्यमान है, जो जलवायु परिवर्तन के शमन एवं पारिस्थितिकीय सुरक्षा के लिए देश की सबसे महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक परिसंपत्तियों में से एक है।

आलोचना

- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की लेखा-परीक्षा के अनुसार, मार्च 2025 तक स्वीकृत क्षेत्र के केवल 5.3% हिस्से (0.148 मिलियन हेक्टेयर) को ही मिशन के अंतर्गत शामिल किया जा सका था।
- प्रमुख कमियों में अपर्याप्त वित्तपोषण, वर्ष 2021 के संशोधन के बाद संशोधित दिशा-निर्देश जारी न करना, कमजोर निगरानी व्यवस्था, सामाजिक अंकेक्षण का अभाव तथा सामुदायिक भागीदारी की कमी शामिल हैं।
- भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के एक अध्ययन में भी पाया गया कि सर्वेक्षण किए गए 70% स्थलों पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
- PAC ने सरकार से मिशन के क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करने तथा इसकी कमियों को दूर करने का आग्रह किया है।

स्रोत: TH

इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025

संदर्भ

- मोजाम्बिक की राजनीतिज्ञ एवं महिला अधिकारों की समर्थक ग्रासा माशेल को वर्ष 2025 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

ग्रासा माशेल के बारे में

- वर्ष 1975 में मोजाम्बिक की स्वतंत्रता के बाद माशेल देश की प्रथम शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री बनीं।
  - उनके कार्यकाल के दौरान विद्यालयों में नामांकन की दर लड़कों में 40% से बढ़कर 90% से अधिक तथा लड़कियों में 75% तक पहुँच गई।
- वह मोजाम्बिक के प्रथम राष्ट्रपति समोरा माशेल की पत्नी थीं तथा वर्ष 1986 में उनकी मृत्यु तक देश की प्रथम महिला के पद पर रहीं।
- वर्ष 1998 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला से विवाह किया। इस प्रकार वह दो देशों की प्रथम महिला बनने वाली विश्व की एकमात्र महिला बनीं।
- सशस्त्र संघर्षों का बच्चों पर प्रभाव विषय पर वर्ष 1996 में संयुक्त राष्ट्र के लिए तैयार की गई उनकी महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट ने संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों की पीड़ा के प्रति अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार

- इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है तथा इसमें ₹1 करोड़ की नकद राशि और प्रशस्ति-पत्र दिया जाता है।
- इस पुरस्कार का नाम स्वतंत्र भारत की प्रथम एवं एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है।
- इसका उद्देश्य उन महिलाओं, पुरुषों और संस्थाओं को सम्मानित करना है, जिन्होंने मानवता तथा पृथ्वी ग्रह की सेवा में अनुकरणीय कार्य किया है।
- पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय नामांकित व्यक्तियों के समूह में से किया जाता है।
- पिछले वर्ष यह पुरस्कार चिली की पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रमुख मानवाधिकार समर्थक मिशेल बाचेलेट को प्रदान किया गया था।

स्रोत: TH

पैलियोलॉक्सोडॉन नामाडिकस

समाचारों में

- मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की देवरी तहसील के पाटई गाँव के निकट पाटई घाट पर नर्मदा नदी के किनारे अपरदन के कारण उजागर हुआ एक जीवाश्मीकृत जबड़ा विलुप्त विशालकाय हाथी पैलियोलोक्सोडोन नामाडिकस का हो सकता है।

पैलियोलॉक्सोडॉन नामाडिकस के बारे में

- यह भारतीय उपमहाद्वीप के प्लाइस्टोसीन काल का एक विलुप्त सीधे दाँतों वाला हाथी था।
- यह अपने वंश की सबसे बड़ी प्रजाति थी तथा अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थलीय स्तनधारियों में से एक थी।
- इस वंश की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी और बाद में इसका प्रसार यूरेशिया तक हुआ।
- इसके नाम में प्रयुक्त 'नामाडिकस' शब्द नर्मदा नदी से लिया गया है।
- इस प्रजाति का वर्णन वर्ष 1846 में फाल्कनर और कॉटली द्वारा किया गया था।
- माना जाता है कि यह उत्तर प्लाइस्टोसीन काल में विलुप्त हो गई थी।

नर्मदा घाटी का महत्त्व

- नर्मदा मानव खोपड़ी , जो अब तक भारत में प्राप्त एकमात्र जीवाश्म मानव पूर्वज का अवशेष है, वर्ष 1982 में हथनोरा के निकट भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के भूवैज्ञानिक अरुण सोनाकिया द्वारा खोजा गया था।
- यह अवशेष स्टेगोडॉन और घोड़ों जैसे जीवों के अवशेषों के साथ प्राप्त हुआ था।
- इस घाटी से पहले भी गैंडे और दरियाई घोड़े के जीवाश्म प्राप्त हो चुके हैं।
- विशेषज्ञों के अनुसार, यह पूरा क्षेत्र कभी दलदली हुआ करता था तथा खोज स्थल के एक किलोमीटर के दायरे में भी अन्य जीवाश्म मिलने की संभावना है।

स्रोत: IE

■■■